

दिनांक

आज्ञा पत्र

29.3.15

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त राय रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतम निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्तु तलवी रिकार्ड दिनांक 12.7.15 को पेश हों।

206

12.7.15

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 12.7.15 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.11.12 को पेश हो।

11.11.12

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.11.12 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 30.11.12 को पेश हो।

30.1.15

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलव किया जाये। पत्रावली वास्तु तलवी दिनांक 7.2.15 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

7.2.15

पत्रावली पेश वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तर्तीय तकमील दाखिल वफतर हो।

शु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्य अपीलाट अधिकारी सीकर(कैम्प)

